उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-39/2016/1400/92-2-2016-98जॉच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 01 अगस्त , 2016

कार्यालय-ज्ञाप

विधानसभा क्षेत्र जखनियॉ, जनपद गाजीपुर के अंतर्गत डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनान्तर्गत निर्मित ग्रामों के निर्माण कार्यो की अनियमितता/अधोमानक कार्य की टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री आर0सी0 मौर्या, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351-ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-,बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2016/1400(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,उ0प्र0,लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र सं0-जी-129/एस0टी0-सी0टी0ई0/2691-117/02/2015-16 दि0 10-03-16 की संलग्नक सहित छायाप्रति **संलग्नकर** इस आशय से प्रेषित कि टी0ए0सी0 जॉच आख्या में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर श्री आर0सी0 मौर्या, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(छायाप्रति संलग्न)**
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती।
3- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री आर0सी0 मौर्या, तत्का0 सहायक अभियंता,ग्रा0 अभि0विभाग,प्रखण्ड-गाजीपुर (सम्प्रति सेवानृित्त) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in